प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/3/26	पक्षवादी उप०। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 17/3/26 को पेश हो।	
14/3/26	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे लोक भावना से राजीनामा हेतु पेश हुआ। सभी पक्षकारो ने उप० होकर हस्ताक्षर किये। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं TQR रीपोर्ट के आधार पर प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार कर प्रार्थिया का नाम राजस्व रेकार्ड मे धन्नीबाई के स्थान पर धन्नीबाई उर्फ रामधारी किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	नि.अ. धन्नीबाई उर्फ रामधारी नि.अ. गुलाबबाई नि.अ. मनीबाई नि.अ. सुगनाबाई नि.अ. [illegible]लाल प्र.प.(१) बद्रीलाल भवरलाल

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या..................

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या.......... ......
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, तालेडा (बून्दी)

(सी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

(राष्ट्रीय लोक अदालत माह मार्च 2026 केम्प तालेडा)

मिसल नं0
351/प्रा0पत्र/2025

तारीख दायरा
07.10.2025

तारीख फैसला
14.03.2026

रामधारी उर्फ धन्ना बाई उम्र 59 वर्ष पुत्री देवी लाल पत्नी पूरनमल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

- वादिनी

बनाम

1. गुलाब बाई पुत्री देवी लाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताडा भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी,
2. नटी बाई पुत्री देवी लाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी,
3. सुगना बाई पुत्री देवी लाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी,
4. कन्हैया लाल पुत्र देवी लाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी,
5. प्रकाश पुत्र देवी लाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी,
6. बद्री लाल पुत्र देवी लाल जाति काछी निवासी-ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी,
7. भंवर लाल पुत्र देवी लाल जाति काछी निवासी ग्रम नोताड़ा भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी,
8. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार जहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

- प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
अभिभाषक प्रार्थी - ग्यारसीलाल गुर्जर
अभिभाषक अप्रार्थीगण- पेरोकार सरकार

:: निर्णय ::

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीएक्ट 1955 व 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादीनी की संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि वाके ग्राम नोताड़ा भोपत पटवार मण्डल नोताड़ा भोपत भूअ.नि. बल्लोप तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है उक्त भूमि के खसरा संख्या 1300 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, खसरा सख्या 1327 रकबा 0.7608 हैक्टेयर, खसरा संख्या 592 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 593 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 594 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 595 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 596 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 597 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा संखव्या 598 रकबा 0.5504 हैक्टेयर किता 9 कुल रकबा 1.9586 हैक्टेयर जिसमे प्रार्थिया का हिस्सा 1/8 निहित है व खाता संख्या नई 143 पूरानी 145 खसरा संख्या 468 रकबा 2.3553 हैक्टेयर, खसरा संख्या 852/632 रकबा 0.7365 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 3.0918 हैक्टेयर वाके ग्राम बक्षपुरा पटवार मण्डल नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान मे स्थित है जिसमे वादीनी का हिस्सा 1/8 निहित है। उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि मे वादीनी का नाम धन्ना बाई पुत्री देवी लाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जबकि वादीनी के समस्त लोक दस्तावेज मे वादीनी का नाम रामधारी पत्नी पूरनमल लिखा हुआ है। वादीनी का नाम धन्ना बाई के स्थान पर रामधारी नाम सही है। वादीनी ने तहसीलदार तालेड़ा से प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम धन्ना बाई के स्थान पर रामधारी दर्ज करने का निवेदन किया। परन्तु तहसीलदार तालेड़ा के द्वारा आज दिन तक उक्त संशोधन करने बाबत कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई जिस कारण वादीनी को अपनी संयुक्त खातेदारी अधिकार की उपरोक्त पर लोन प्राप्त करने कृषि भूमि का विकास करने हस्तांतरण करने मे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वादीनी को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से नाम धन्ना बाई के स्थान पर पुनः रामधारी दर्ज कने का आदेश तहसीलदार तालेड़ा के विरूद्ध इन्द्राज दुरूस्त करने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का वाद कारण आज दिनांक से लगभग 25 दिन पूर्व तहसीलदार तालेड़ा ने वादीनी का नाम राजस्व रिकार्ड मे धन्ना बाई के स्थान पर रामधारी दर्ज करने से

BW

...ार कर दिया। तब उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीनी का वाद ...त्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित दोनों खातों की कषि भुमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम धन्ना बाई के स्थान पर रामधारी दर्ज कर इन्द्राज दुरुस्त किया जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वादिनी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित होकर पृथक-पृथक इकबालियों जवाब दावा पेश कर वादिनी के नाम संशोधन हेतु सहमति प्रकट की गई।

तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 328 दिनांक 06.02.2026 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि धन्नाबाई व रामधारी नाम की एक ही महिला है, उक्त महिला को धन्नाबाई एवं रामधारी दोनो ही नामो से जाना जाता है।

पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर तहसीलदार तालेडा की जांच रिपोर्ट तथा प्रस्तुत साक्ष्यो का परीक्षण कर विधि सम्मत आदेश पारित करने का अंकन किया गया।

वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति होने से प्रतिवादीगण द्वारा इकबालियों जवाब प्रस्तुत करने एवं राजीनामा की भावना से प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुआ। प्रतिवादीगण से पुछताछ की गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, सहखातेदार प्रतिवादीगण का इकबालियों जवाब दावा एवं तहसीलदार तालेडा की जाचं रिपोर्ट के आधार पर धन्नाबाई पुत्री देवीलाल एवं रामधारी पुत्री देवीलाल एक ही महिला है। जिसे संशोधित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 1300 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, खसरा सख्या 1327 रकबा 0.7608 हैक्टेयर, खसरा संख्या 592 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 593 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 594 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 595 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 596 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 597 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 598 रकबा 0.5504 हैक्टेयर किता 9 कुल रकबा 1.9586 हैक्टेयर वाके ग्राम नोताडा भोपत पटवार मण्डल नोताडा भोपत, जिसमे प्रार्थिया का हिस्सा 1/ 8 निहित है व खाता संख्या नई 143 पूरानी 145 खसरा संख्या 468 रकबा 2.3553 हैक्टेयर, खसरा संख्या 852/632 रकबा 0.7365 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 3.0918 हैक्टेयर वाके ग्राम बक्षपुरा पटवार मण्डल नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान मे स्थित है जिसमे वादीनी का हिस्सा 1/8 निहित है, में वादिनी का नाम धन्नाबाई पुत्री देवीलाल के स्थान पर धन्नाबाई उर्फ रामधारी पुत्री देवीलाल संशोधित किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेगा।

यह निर्णय आज दिनाक 14.03.2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत में टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या..................

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या.......... ......
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, तालेडा (बून्दी)